एक नजर



वरिष्ठ पत्रकार प्रवी ा जोशी सम्मानित

इंदौर। एक गरिमामय समारोह में वरिष्ठ पत्रकार एवं समीक्षक प्रवी ा जोशी को सम्मानित किया गया। एम आर टेन चौराहा स्थित ब्रियलेंट एकेडमी में आयोजित इंटर डिस्ट्रिक्ट किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में प्रशिक्षक दिनेश मटके और एडवोकेट चांसी ने प्रवी ा जोशी को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह जानकारी देते हुए प्रशिक्षक विजय बरेठिया ने बताया कि खेल गतिविधियों पर कलम चलाने का कार्य प्रवी ा जोशी बीते कई वर्षों से कर रहे है और उनकी रिपोर्टिंग को विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में भी सम्मानजनक स्थान मिला है। वरिष्ठ पत्रकार प्रवी ा जोशी आउटडोर और इंडोर दोनों खेलों पर धारदार कलम चलाते है। इस उपलब्धि पर अनेक मित्रों ने प्रवी ा जोशी को कोटिश बधाईयों के साथ शुभकामनाये प्रेषित की है ।



युवा सृजन संवाद से जागरूकता की नई पहल

इंदौर,(नप्र)। विद्यार्थियों में सामान्य कानून की जानकारी, उत्तरदायी नागरिकता, सुरक्षा बोध तथा पुलिस और समुदाय के बीच विश्वास एवं संवाद को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से, पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग के समन्वय से ह्यजन सुरक्षा युवा सृजन संवादह्न कार्यक्रम स्कूल व कॉलेज में संचालित किया जा रहा है।

इसी क्रम में सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत अति पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा श्रीमती प्रियंका डुडवे एवं टीम द्वारा माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय इंदौर में पहुंचकर, छात्राओं से संवाद कर उन्हें विभिन्नविषयों पर जागरूक किया गया। कार्यक्रमों के दौरान छात्राओं को मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संवैधानिक मूल्य, किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम, महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर अपराधों से बचाव, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार, सोशल मीडिया सुरक्षा, नशे के दुष्प्रभाव एवं सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपू ा विषयों की जानकारी देकर जागरूक करते हुए छात्राओं को अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहने के लिए प्रेरित किया।

इसके पश्चात टीम द्वारा छात्राओं को थाना जूनी इंदौर का भ्रम ा भी कराया गया। इस दौरान स्टूडेंट्स को पुलिस की कार्यप्र ाली से अवगत कराते हुए डायल-112 एवं महिलाओं को ध्यान में रखते हुए थाने में कार्यरत ऊर्जा डेस्क के संचालन व विभिन्न हेल्पलाइन के संबंध में भी जागरूक किया। इस दौरान एसीपी जूनी इंदौर श्री विजय चौधरी, थाना प्रभारी जूनी इंदौर श्री अनिल कुमार गुप्ता, कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अशोक सचदेवा व अन्य फैकल्टी डॉ रेखा सोलंकी, डॉ अरु ा कुशुमाकर, डॉ प्रीति भार्गव, डॉ ममता थपेड़िया, डॉ अनुराधा ठाकुर सहित अन्य टीम ने भी उपस्थित रहकर, छात्राओं को विभिन्न सामाजिक विषयों से संबंधित महत्वपू ा जानकारी प्रदान करते हुए जिम्मेदार नागरिकता के प्रति प्रेरित किया।

बेटी की शादी से 2 महीने पहले पिता की मौत

स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय फिसले सिक्योरिटी गार्ड, ड्यूटी के लिए महू से आए थे

इंदौर,(नप्र)। इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर मंगलवार रात ट्रेन से उतरते समय एक सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। मृतक मोहम्मद इजराइल महू के रहने वाले थे और इंदौर की एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। वे नाइट शिफ्ट की ड्यूटी के लिए ट्रेन से इंदौर पहुंचे थे। ट्रेन की गति धीमी होने के दौरान उतरते समय उनका पैर फिसल गया और वे ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे के बाद जीआरपी ने शव को पटरियों से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया।



इजराइल पुत्र मोहम्मद इस्माइल, निवासी महू के रूप में हुई है। वे रोज की तरह मंगलवार रात भी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी के लिए ट्रेन से इंदौर पहुंचे थे।

बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की गति धीमी होते ही मोहम्मद इजराइल उतरने लगे। इसी दौरान उनका पैर फिसल गया और वे चलती ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पटरियों से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया और देर रात परिजनों को हादसे की जानकारी दी। पुलिस घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।

ट्रेन से उतरते समय बिगड़ा संतुलन

जीआरपी पुलिस के अनुसार, हादसा महू से इंदौर के बीच चलने वाली ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर आने के दौरान हुआ। मृतक की पहचान मोहम्मद

दो महीने बाद होनी थी बेटी की शादी

हादसे की खबर मिलने के बाद परिजन इंदौर पहुंचे। परिजनों ने बताया कि मोहम्मद इजराइल के परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। बेटा पढ़ाई कर रहा है, जबकि बेटी का रिश्ता पुणे में तय हुआ था। दो महीने बाद बेटी की शादी होनी थी और परिवार में तैयारियां चल रही थीं। शादी से पहले हुए इस हादसे में मोहम्मद इजराइल की मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

महिला पर ब्लैकमेलिंग-धमकी देने का केस दर्ज

विवाहित कारोबारी से संबंध और दो बच्चों के जन्म का दावा; पत्नी का आरोप-60 लाख वसूले

इंदौर,(नप्र)। एक महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता महिला ने महिला पर अपने पति को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रुपए वसूलने और परिवार को परेशान करने के आरोप लगाए हैं।

शिकायत के अनुसार महिला अब तक 40 लाख रुपए और इसके अलावा 20 से 25 लाख रुपए अलग-अलग ले चुकी है। पुलिस ने आवेदन की जांच, संबंधित पक्षों के बयान और दस्तावेजों के आधार पर मंगलवार को महिला के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

सरोगेसी के सिलसिले में हुई थी दोस्ती

महिला ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उनका विवाह 7 दिसंबर 1997 को हुआ था। उनकी एक बेटी है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित है। शिकायत के मुताबिक उसके दोबारा गर्भधारण नहीं कर पाने के कारण उनके पति सरोगेसी के विकल्प तलाश रहे थे। इसी दौरान महिला सरोगेट मदर बनने के लिए तैयार हुईं। महिला का दावा है कि पति और उस महिला से दो बच्चे हुए।

दुष्कर्म के केस में समझौते का भी जिक्र

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 5 अक्टूबर 2019 को महिला ने उसके पति के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। महिला के अनुसार उस मामले में समझौते के लिए महिला ने अपनी बेटी को पति का नाम देने और उनके साथ पति-पत्नी की तरह रहने की शर्त रखी थी। शिकायतकर्ता का दावा है कि 7 अगस्त 2024 को उस मामले में समझौता हुआ था।

महिला ने आरोप लगाया कि इसके बाद भी महिला उनके पति को ब्लैकमेल करती रही और उनसे बड़ी रकम ली। शिकायत में पूर्व में अन्य लोगों के खिलाफ भी झूठे मामले दर्ज कराने और समझौते के जरिए रुपए लेने के आरोप लगाए गए हैं।

घर पहुंचकर धमकाने का आरोप

महिला ने शिकायत में कहा कि महिला उनके घर पहुंचकर गाली-गलौज करती है और उनके पति व परिवार को झूठे मामलों में फंसाने तथा जेल भिजवाने की धमकी देती है। उन्होंने अपनी और परिवार की सुरक्षा की मांग भी की है।

पुलिस ने आवेदन की जांच के दौरान दंपती और संबंधित महिला के बयान दर्ज किए। शिकायत के साथ बैंक स्टेटमेंट, फोटो सहित अन्य दस्तावेज भी दिए गए थे। जांच में प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अनुमति लेकर केस दर्ज किया गया। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।

यातायात नियम उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई

इंदौर,(नप्र)। पुलिस उपायुक्त यातायात द्वारा अधिकारियों एवं यातायात टीमो के प्रभारियों को बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए लगातार क्षेत्रों में टीम को व्हील लॉक/ पेट्रोलिंग की कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए।

निदेर्शों के अनुरूप सभी पेट्रोलिंग टीमों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में चिन्हित प्रमुख मार्गों, व्यस्त बाजारों एवं अधिक यातायात दबाव वाले क्षेत्रों में निरंतर भ्रमण कर अवैध एवं अव्यवस्थित पार्किंग पर नियंत्रण किया गया। इसी प्रकार विभिन्न चौराहा पर यातायात व्यवस्था के साथ-साथ ऐसे वाहन चालक जो स्वयं नियमों का उल्लंघन कर, दूसरों का जीवन खतरे में डालते हैं उन पर भी कार्रवाई की गई, विशेष रूप से नो- पार्किंग, रॉंग साइड, मोबाइल का उपयोग, संकेत उल्लंघन, लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालों पर भी कार्यवाही की गई। यातायात पुलिस द्वारा गलत पार्किंग करने पर -339 , वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वाले-109, संकेत उल्लंघन-113, बिना लाइसेंस-42, अमानक नम्बर प्लेट-169, ब्लैक फिल्म -28, वनवे के उल्लंघन पर-177 एवं अन्य उल्लंघन पर भी वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। वाहन चालकों से अपील है कि कृपया यातायात नियमो का पालन करें और यातायात व्यवस्था में सहयोग प्रदान करें।





शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया के कार्यक्रम में वीसी से शामिल हुए मुख्यमंत्री

इंदौर (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य को लेकर बेहतर कल्या ाकारी योजनाएं चलायी जा रही हैं। जिसका लाभ नागरिकों को मिल रहा है। वर्ष 2047 में प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिये नागरिकों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश में नये मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। एयर एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जा रही है। ट्रामा सेंटर संचालित किये जा रहे हैं। विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि आँख है तो जहान है। यह परमात्मा का सबसे बड़ा अमूल्य उपहार है। आँखों की रोशनी के बगैर जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है। आँखों की देखभाल करना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार शाम को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया के रव ा जयंती समारोह में अपना संबोधन दे रहे थे। यह आयोजन ?ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इस आयोजन में रेनबो स्कूल स्टुडेंन्ट्स आई स्क्रीन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आयोजन में उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

चोरी के प्रकरणों में दो साल से फरार शातिर बदमाश गिरफ्तार

इंदौर,(नप्र)। शहर में अपराधों पर नियंत्रण हेतु की जा रही चेकिंग व कार्यवाही के दौरान थाना लसुड़िया पुलिस को मुखबिर से कुछ संदिग्धों के संबंध में सूचना मिलीं । जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच 2 संदिग्ध व्यक्तियों को अभिरक्षा में लिया गया।



पूछताछ करते एक ने अपना नाम शैलेंद्र उर्फ पिंटू सोलंकी, उम्र 47 साल, निवासी सैटेलाइट जंक्शन लसुड़िया, हाल मुकाम बापट चौराहा के पास हीरानगर, इंदौर का होना बताया। जो कि थाना लसुड़िया के चोरी के 03 प्रकरणों में करीब 2 साल से फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार किया गया । उक्त आरोपी के साथ पकड़े गये दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम नवदीप उर्फ राजकुमार सिंह परिहार, उम्र 30 साल, निवासी कृष्ण विहार कॉलोनी, छोटा बांगड़दा, थाना एरोड्रम, जिला इंदौर होना बताया। तस्दीक पर आरोपी नवदीप के विरुद्ध पूर्व से अलग-अलग थानों में कई अपराध पंजीबद्ध होना पाये गये।

दोनों के संबंध में आसपास के थाना और जिलों से जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त दोनों आरोपियों को थाना बदनावर में पंजीबद्ध अपराध में न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से दंडित किया गया है तथा उक्त सजायाफ्ता प्रकरण में दोनों आरोपी फरार चल रहे थे, जिन्हें पुलिस थाना लसूडिया ने गिरफ्त में लिया है।

आरोपी शैलेंद्र सोलंकी को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त कर पूछताछ की जा रही है तथा सजायाफ्ता फरार आरोपी नवदीप उर्फ राजकुमार परिहार को थाना बदनावर जिला धार पुलिस के सुपुर्द किया गया है।

अरविन्द बागड़ी फिर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उद्योग-व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त



इंदौर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अभा कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी के अनुमोदन से इंदौर नगर निगम के दो बार पार्षद रहे, तीन बार ब्लाक कांग्रेस के अध्यक्ष और दो विधानसभा चुनावों में संचालक तथा एक लोकसभा चुनाव में संचालक के रूप में पार्टी संगठन के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले अरविन्द बागड़ी को प्रदेश कांग्रेस के उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ में पुनः प्रदेशाध्यक्ष मनोनीत किया है। बागड़ी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत युवक कांग्रेस के वार्ड अध्यक्ष से की है। वे अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन, मप्र वैश्य महासम्मेलन, महाराजा अग्रसेन पारमार्थिक न्यास, इंदौर बगान फुटबॉल क्लब एवं श्रीसिद्धि विनायक भक्त मंडल खजराना ग ोश मंदिर से भी जुड़े रहे हैं।

हॉस्टल में छात्रा ने लगाई फांसी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी

इंदौर,(नप्र)। भंवरकुआ क्षेत्र में हॉस्टल में रह रही 18 वर्षीय छात्रा रितिका रायकवार ने मंगलवार रात फांसी लगाकर जान दे दी। देर रात कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर हॉस्टल संचालक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो छात्रा की मौत का पता चला। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

पुलिस के मुताबिक, रितिका राधे-राधे हॉस्टल में अपनी सहेली के साथ रहती थी। वह तीन साल पहले इंदौर आई थी और यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। मंगलवार को उसकी रूममेट अपने काम से उज्जैन गई हुई थी, इसलिए रितिका कमरे में अकेली थी। रितिका मूल रूप से सागर की रहने वाली थी। उसके पिता रामकिशन की काफी समय पहले मौत हो चुकी है। परिवार में उसकी मां रुचि और एक छोटा भाई है।

मां से शाम को हुई थी बात- रितिका की मां ने बताया कि मंगलवार शाम को उनकी बेटी से मोबाइल पर बात हुई थी। बातचीत के दौरान रितिका ने पार्लर जाने की बात कही थी और मां से अपने अकाउंट में पैसे डालने के लिए कहा था। इसके बाद दोनों की बात नहीं हुई।

Change in Name

I PRANIT VIJAYKUMAR VERMA Here by Declare That I have changed My name as PRANIT VIJAY VERMA S/O VIJAY HARIKRUSHNA VARMA so, from now and In future I will be known by my new name.
PRANIT VIJAY VERMA S/O VIJAY HARIKRUSHNA VARMA
Add:309, MANGALA AVENUE 6-A, SHANKHESWAR CITY JAKHYA, INDORE(M.P.)453555

Change in Name

I NISHANT PATHARDHIKAR Here by Declare That I have changed My name as NISHANT PATHARDIKAR S/O SHRIKANT PATHARDHIKAR so, from now and In future I will be known by my new name.
NISHANT PATHARDIKAR S/O SHRIKANT PATHARDHIKAR
Add:B-609, SHREE VINAYAK TOWER M A-1, SATELLITE JUN., INDORE(M.P.)452010

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास जूनी इंदौर क्षेत्र जिला इंदौर म.प्र.

(कलेक्टोरेट कार्यालय कक्ष क्रमांक 204 जिला इंदौर मध्य प्रदेश)

क्रमांक/4993 / रीडर-1/26 जूनी **उद्घोषणा** इंदौर दिनांक 27/10/2026

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, आवेदक दि कर्नाटक संघ एज्युकेशनल ट्रस्ट पता-1427, कनाडिया रोड, इन्दौर द्वारा ट्रस्ट में टहराव प्रस्ताव दिनांक 06/09/2026 अनुसार नवीन प्रस्तावित ट्रस्टी श्री अरविन्द लक्ष्मण मनोहर का नाम समाविष्ट किये जाने एवं डॉ. सुरश बाटनी का कार्यकाल समाप्त होने से नाम कम किये जाने बाबद धारा 9(1) के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निम्नलिखित नवीन ट्रस्टी प्रस्तावित है:- (**नवीन ट्रस्टीयो की जानकारी**)

क्र.	नवीन ट्रस्टी	पता
1	श्री अरविन्द लक्ष्मण मनोहर पिता लक्ष्मण पुजारी	1305, जी ब्लाक, ओशन पार्क, निपान्या, इन्दौर

अतएव आवेदक दि कर्नाटक संघ एज्युकेशनल ट्रस्ट पता-1427, कनाडिया रोड, इन्दौर द्वारा ट्रस्ट में नवीन प्रस्तावित ट्रस्टी श्री अरविन्द लक्ष्मण मनोहर का नाम समाविष्ट किये जाने एवं डॉ. सुरश बाटनी का कार्यकाल समाप्त होने से नाम कम किये जाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति / संस्था व अन्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह प्रकरण में विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस के अंदर न्यायालयीन दिवस एवं समय मे स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति मे प्रस्तुत कर सकते है अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते है । निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियां / दावों पर कोई विचार नही किया जावेगा। आज दिनांक 27/10/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया ।

(घनश्याम धनगर) रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जूनी इन्दौर

परिशिष्ट ट प्रारूप-ण (नियम 22(क) (6) देखिए)

धारा 30-क के अधीन भू-खण्डों के विलियन हेतु सार्वजनिक सूचना

क्रमांक INDLP19092624868/दिनांक/27/OCT/2026

क./2153/नगानि/Indore दिनांक 27/OCT/2026

जनसामान्य की जानकारी हेतु एतद द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/मेसर्स CHHAKAN SINGH KHARAT जो नगर/ग्राम रंगवासा के खसरा क्रमांक हेतु आदेश क्रमांक INDLP6150 दिनांक 2020-12-29 द्वारा स्वीकृत अभिन्यास में स्थित RESIDENTIAL, SELF HOUSE प्रयोजन के भू-खण्ड क्रमांक 29, 30, 31 को स्वामी है, और श्री/श्रीमती/मेसर्स CHHAKAN SINGH KHARAT जो नगर राऊ ग्राम रंगवासा के खसरा क्रमांक 29 में स्थित भूमि के हेतु आदेश क्रमांक INDLP6150 दिनांक 2020-12-29 द्वारा स्वीकृत अभिन्यास में स्थित RESIDENTIAL, SELF HOUSE प्रयोजन के भू-खण्ड अथवा नगर / ग्राम रंगवासा खसरा क्रमांक 29 रकबा 0.045306 भूमि जिसका भूमि उपयोग RESIDENTIAL है, के स्वामी है द्वारा उपरोक्त भू-खण्ड/भू-खण्ड एवं भूमियों के विलियन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति उक्त विलियन के बारे में अपनी आपत्ति या सुझाव इस सूचना प्रकाशन के पंद्रह दिन के भीतर, अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय अथवा https://alpass.mp.gov.in/Web/Objection.aspx ?RefApp=Zyn42HgVuA2153 पर प्रस्तुत कर सकेगा। पूर्व स्वीकृत अनुज्ञा के ब्यौरे तथा मर्जर की जा रही भूमि/ भूखण्ड का हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण उपरोक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान अथवा website https://alpass.mp.gov.in/Web/uLogin.aspx पर किया जा सकता है।

संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्दौर मध्यप्रदेश

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश

जिला कार्यालय इन्दौर (म.प्र.)

क्र./2156 क्रमांक INDLP06072625112/ दिनांक /27/OCT/2026 दिनांक 27/OCT/2026

म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(3) सहपठित म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 14(3) के अधीन दी गई अनुज्ञा में उपांतरण की दशा में आपत्तियों आमंत्रित करने हेतु

जनसामान्य की जानकारी हेतु एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता हैं कि श्री/श्रीमती/मेसर्स (BRI) KISHORE)-OWNER'S NAMES:- Shri. Brij Kishore S/o Shri Balkrishna Goyal Addres: 3-A Agrawal Nagar Indore 1) Shri Balkrishna S/o Shri Ramkaran Goyal Smt. Sarla W/o Shri Rajendra kumar Goyal Smt. Usha W/o Gopal Goyal Shri Gopal S/o Shri Balkrishna Goyal Smt. Vinita W/o Shri Brij kishore Goyal Shir Rajendra S/o Shri Balkrishna Goyal द्वारा नीचे दिये गये अभिन्यास में उपांतरण हेतु आवेदन किया है:-

(क) परियोजना का नाम:- PROFESSIONAL OFFICES/CHAMBER NORMS

(ख) अवस्थिति (अवस्थिति/ग्राम का नाम एवं खसरा क्रमांक): पूर्व स्वीकृत ग्राम मुसाखेड़ी तहसील जूनी इन्दौर व जिला इन्दौर की भूमि सर्वे क्रमांक/खसरा क्रमांक 375/1 (S), 375/2 (S), 375/3 (S), 375/4 (S) कुल रकबा 2.043 हेक्टेयर भूमि पर RESIDENTIAL, PROFESSIONAL OFFICES/ CHAMBERS NORMS विकास हेतु अनुमोदित अभिन्यास में संशोधित अभिन्यास का अनुमोदन चाहा गया है।

(ग) विकास का प्रयोजन:- RESIDENTIAL, PROFESSIONAL OFFICES/CHAMBERS NORMS

(घ) स्वीकृति क्रमांक INDLP170226594 दिनांक 2026-04-14

पूर्व स्वीकृत अभिन्यास में यदि उपांतरण किया जाता हैं, तो उससे परियोजना से जुड़े व्यक्ति/ संस्था के हित प्रभावित होने की संभावना है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति, उपांतरणों से संबंधित अपनी आपत्ति या सुझाव, इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में अथवा https://alpass. mp.gov.in/Web/Objection.aspx?RefApp=87Llazo4TH2156 पर प्रस्तुत कर सकेगा। पूर्व स्वीकृत अभिन्यास के ब्यौरे तथा प्रस्तावित उपांतरित अभिन्यास का निरीक्षण हितबद्ध व्यक्ति द्वारा, उपरोक्त कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान अथवा website https://alpass.mp.gov.in/Web/uLogin.aspx पर किया जा सकता है।

संयुक्त संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश, जिला इन्दौर (म.प्र.)

नाबालिग प्रथमेश की हत्या में एसआईटी जांच की मांग

समाज ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में सौंपा ज्ञापन, शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

इंदौर,(नप्र)। हीरानगर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय प्रथमेश जायभाय की हत्या के मामले में मराठा समाज ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। बुधवार को समाज के लोगों ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने और शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की।

प्रथमेश की 12 अक्टूबर 2026 की रात बजरंग नगर में पशुपतिनाथ मंदिर के पास हत्या हुई थी। समाजजनों ने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मामले में शामिल बताए जा रहे दो भाइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

समाजजनों का आरोप है कि हत्याकांड में शामिल दो मुख्य आरोपी और उसका भाई अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उनका कहना है कि पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में दोनों के शामिल होने की बात कही है। इसके बावजूद पुलिस ने न तो दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है और न ही उन्हें प्रकरण में आरोपी बनाया है। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में दोनों भाइयों का आतंक है और एक भाई अन्य आरोपियों को लगातार संरक्षण देता रहा है।

सीसीटीवी फुटेज समय पर नहीं जुटाने का आरोप

ज्ञापन में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए। प्रतिनिधियों का कहना है कि फरियादी पक्ष की ओर से बार-बार आग्रह करने के बावजूद पुलिस ने घटना के समय के महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज समय पर एकत्र नहीं किए। समाजजनों ने कहा कि नाबालिग की हत्या से पूरे समाज में भय और रोष है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित करने और शेष आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की।

सयाजी होटल्स (इंदौर) लिमिटेड

सीआईएन : L55209MP2018PLC076125

पंजीकृत कार्यालय: एच-1, स्कीम नंबर 54, विजय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452010

दूरभाष : 0731-4006666, ईमेल आईडी: cs@shilindore.com, वेबसाइट: www.shilindore.com

30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(राशि लाख रुपये में, प्रति शेयर आय के आंकड़ों को छोड़कर)

क्र.	विवरण	स्टैंडअलोन		
		तिमाही समाप्त 30.09.2026 (अलेखापरीक्षित)	तिमाही समाप्त 30.09.2025 (अलेखापरीक्षित)	छमाही समाप्त वर्ष 30.09.2026 (अलेखापरीक्षित)
1	संचालन से कुल आय (शुद्ध)	1918.31	2106.90	4,570.41
2	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पूर्व, असाधारण एवं / या अपवादात्मक मदों से पहले)	(573.90)	16.24	(372.16)
3	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर से पूर्व, असाधारण एवं / या अपवादात्मक मदों के बाद)	(573.90)	16.24	(372.16)
4	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर के बाद, असाधारण एवं / या अपवादात्मक मदों के बाद)	(482.94)	17.68	(324.95)
5	अवधि की कुल समग्र आय (जिसमें अवधि का लाभ / (हानि) (कर के बाद) एवं अन्य समग्र आय (कर के बाद) शामिल है)	(493.13)	18.17	(334.86)
6	इक्विटी शेयर पूंजी	304.66	304.66	304.66
7	रिज़र्व (पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व को छोड़कर), जैसा कि पिछले वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में दर्शाया गया है	-	-	-
8	प्रति शेयर आय (₹10/- अंकित मूल्य) (सतत एवं बंद परिचालन के लिए) मूल (Basic) पतला (Diluted)	(15.86) (15.86)	0.58 0.58	(10.67) (10.67)

नोट: उपरोक्त जानकारी 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है, जिसे SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल किया गया है। 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही और छमाही के वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट **www.bseindia.com** और कंपनी की वेबसाइट **www.shilindore.com** पर उपलब्ध है। साथ ही, नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी इसे देखा जा सकता है।

स्थान : **इंदौर**
दिनांक : **28.10.2026**

बोर्ड के आदेश से
सयाजी होटल्स (इंदौर) लिमिटेड
Sd/-
थोट्टापुल्ली नारायणन उन्नी, अध्यक्ष